



उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-4

संख्या-53/2026/1/1403294/2026/11-4099/25/2024

लखनऊ: दिनांक 22 जुलाई, 2026

शुद्धि-पत्र

राज्य कर विभाग के शासनादेश संख्या-52/2026/1/1392542/2026/11-4099/25/2024 दिनांक 13.07.2026 द्वारा जनपद-बरेली में राज्य कर विभाग की आवासीय कॉलोनी जनकपुरी में 07 नग आवासीय भवनों (भवन संख्या-48, 72, 74, 76, 78, 82 एवं 84) में मरम्मत/अनुरक्षण कार्य कराये जाने हेतु न्यूनतम आगणित कार्यदायी संस्था-उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि०, प्रखण्ड मेरठ (UPCLDF) के प्रस्ताव के अनुसार, उक्त शासनादेश दिनांक 08.04.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-89 के राजस्व लेखा के लेखाशीर्षक 2216-07-800-03-वाणिज्य कर विभाग के आवासीय भवनों की विशेष मरम्मत एवं रख-रखाव कार्य के मानक मद 29-अनुरक्षण मद में आयुक्त, राज्य कर, उ०प्र० लखनऊ के निवर्तन रक्षित धनराशि के सापेक्ष कुल ₹0 111.05 लाख (रुपये एक करोड़ ग्यारह लाख पांच हजार मात्र) की धनराशि का व्यय किये जाने की अनुमति कतिपय शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 13.07.2026 के प्रस्तर-3 में उल्लिखित “कार्यदायी संस्था-उ०प्र० राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि०, प्रखण्ड मेरठ” के स्थान पर “कार्यदायी संस्था-उ०प्र० राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि०, प्रखण्ड बरेली” पढ़ा व समझा जाय-

3- शासनादेश संख्या-52/2026/1/1392542/2026/11-4099/25/2024 दिनांक 13.07.2026 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

अरविन्द सिंह

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या व दिनांक-यथोक्त।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, प्रयागराज।
3. अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर, बरेली जोन, बरेली।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. एडीशनल कमिश्नर (लेखा), राज्य कर, 30प्र0, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. सम्बंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा आयुक्त राज्य कर 30प्र0 लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, 30प्र0 शासन।
9. सम्बंधित कार्यदायी संस्था, द्वारा आयुक्त राज्य कर 30प्र0 लखनऊ।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरविन्द सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।